# ORDER-SHEET

## *The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal*

***Case No. L00- 10/2023***

| *Date of order of proceeding* | *Order of proceeding with Signature of presiding officer*<br><br>**श्री प्रदीप अग्रवाल, 277, अंबिकापुरी एक्सटेंशन, इन्दौर (म.प्र.)** | *Signature of parties or pleaders where necessary* |
|---|---|---|
| ***16-11-2023*** | आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं ।<br>अनावेदक की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं ।<br>आवेदक – श्री प्रदीप अग्रवाल, 227, अंबिकापुरी एक्सटेंशन, इन्दौर (म.प्र.) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 29.09.2023 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0544423 में आदेश दिनांक 19.06.2023 से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 42 (6) विद्युत अधिनियम, 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 06.10.2023 को इस कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल 00–10 / 2023 पर दर्ज की गई है ।<br>प्रकरण को क्रमांक एल.00–11 / 2023 पर दर्ज करने के बाद उभयपक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 16.10.2023 को नियत की गई । प्रथम सुनवाई दिनांक 16.10.2023 को उभयपक्षों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । इसके पश्चात् उक्त प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 26.10.2023, 01.11.2023 तथा अन्तिम सुनवाई दिनांक 16.11.2023 नियत की गई । परन्तु उक्त किसी भी सुनवाई के दौरान आवेदक तथा अनोवदक (उभयपक्ष) की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ ।<br>ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रकरण रजिस्टर्ड तो करवा दिया गया, परन्तु प्रकरण में विद्युत लोकपाल द्वारा की जा रही कार्यवाही के प्रति वह उदासीन है और उक्त प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है । इसी प्रकार अनावेदक कम्पनी को भी उक्त प्रकरण से कोई लेना–देना नहीं है ऐसा प्रतीत होता है ।<br>उक्त प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई के समुचित अवसर दिए, परन्तु उनके द्वारा एक भी सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा गया है । अतः उक्त प्रकरण के संबंध में यह निर्णीत किया जाता है कि प्रकरण यथावत् रूप में खारिज किया जाता है । आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।<br>**विद्युत लोकपाल** | |